

उनवान

मांगेराज

वनाम

रामलौराम यादि

दावा बाबत :- 8887 Act

मुकदमा नम्बर :- 326/21

निर्णय दिनांक :- 09-11-2021

वादी की ओर से वकील हमिदुल्ला खान की व प्रतिवादी सं0.1.11.2.50 की ओर से वकील सर्वीर केनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

देहा भोजा जाशन के खाता सं. 212/79 के खसरा सं. 767 की 2.011 हे०, खसरा सं. 767/389 की 1.050 हे०, खसरा सं. 769 की 5.261 हे०, खसरा सं. 770 की 1.517 हे०, खसरा सं. 792 की 2.074 हे०, खसरा सं. 794 की 3.731 हे०, खसरा सं. 249 की 1.340 हे० कुल 16.984 हे० कारानी खातेदारी वादी के पिता फूलाराम पुत्र जुनीराम के नाम 1/8 हिस्सा व देहा जाशन के खाता सं. 133/82 के खसरा सं. 796 की 3.111 हे०, खसरा सं. 200 की 1.872 हे०, खसरा सं. 201 की 0.847 हे० कुल 5.830 हे० में फूलाराम पुत्र जुनीराम के नाम 729/29151 हिस्सा रामरथ रियासत में दफ्तरी है उसे फूलाराम पुत्र जुनीराम का नाम कलाभजन लिखा जाकर वादी मांगेराज, प्रतिवादी सं. 1 रमलौराम, प्रतिवादी सं. 2 रमलौराम, प्रतिवादी सं. 3 गिरदावरी, प्रतिवादी सं. 4 अमरी, प्रतिवादी सं. 5 1/6-1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 विदुया, प्रतिवादी सं. 6 संदीप, प्रतिवादी सं. 7 रामनिवास को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के खातेदार का आकार घोषित किया जाते है यदि कृषि अधिकार के रखे होते रहने मुक्त होने पर रामरथ रियासत में अमलदराजद खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(सिद्धि)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़
09/11/21